

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

d. 3

नई विल्ली, शनिवार, बनवरी 19, 1991/पीव 29, 1912

No. 3]

NEW DELIII, SATURDAY, JANUARY 19, 1991/PAUSA 29, 1912

इ.स. भाग में भिल्ल पृष्ठ संस्था को जाती है जिससे कि वह जलग संकरन के कप म रखा का सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compliation

PART II—Section 4

रका संत्रालय द्वारा कारी किए अप साविधिक त्रियस और आदेश 5-atutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रका मंत्रालय

नई दिन्ती, 4 जनवरी, 1991

का.नि.मा. 1 :-राष्ट्रपति संविधान के सनुक्ष्टेर 309 के परन्तुक द्वारा प्रदेश सक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा सनुसंधान और विकास क्षेत्रा निगम, 1979 का और संघोधन करने से लिए निम्निविधन विश्वम कताते हैं, सर्थात् :--

- (1) इन नियमों का नंजिप्न नाम रक्षा घनुसंबान और विकास सेवा (बुसरा संबोधन) नियम, 1990 है।
 - (2) ये राजस्थ में बकासन की तारीय को प्रकृत होंने ।

2 रक्षा प्रमुमंभान और विकास सेवा निवस, 1979 (बिन्हें इसमें इसके पत्रवात् उरुपनिवस कहा क्या है), के निवस 8 उपनिवस (1ध) में बंड (ख) के स्वान पर निम्मिनिवित बंड रुवा आग्या, धर्मात् —

"(बा) वैकानिक "क" भेजो में प्रति वर्ष मिलक हो प्रधिक 250 रिक्तिया ऐसे प्रध्यप्रियों को नियुक्ति हास असी जा मकेंसी जिनका वयन "कनिष्ठ प्रध्येना" के स्य में किया गया है और उन्होंने कमक: धनुमूची 5 मीर 6 में यथा घषिकथिन एम. एस. सी. (कप्प्टर सोप्टवेयर) की डिग्री या इन्जीनिपरी/श्रीवोधिकी की डिग्री महनाप्रवेक पूरों कर जो है।"

 उस्त निषमों की मनुसूची में चनुमूची 5 के पक्चान् निष्नपिक्षित मनुसूची जोड़ी आएपी, मणीप :--

"धनुमूची 6"

िल्यम ह(1म) (स) देखिल]

प्रोक्षाविको संस्थान, भारतीय विकाल संस्था, प्रावेणिक इंप्रीतियरी कालेष बीर सन्य ब्यात संस्थानों से विनिर्दिष्ट इंग्रीनियरी विषयों के प्रतिमर्गिणी युवा वैशानिकों को साकवित्र करने के निए कनिष्ट सब्येदा-पृति स्कीन।

रक्षा मनुसंधान और विकास संगठन को स्कीम के अधीन कनिष्ठ अध्येताओं को नियुक्ति के निवंध और नर्ते निम्निविश्वित होंगी :—

(क) कनिष्ठ सम्बेदायों की कैयम भर्ती भारतीय मोबोनिकी संस्थान, भारतीय विकान संस्था, प्रादेनिक इंजीनियरी कानेश्व और पत्य ब्यात तकनीको जिला संस्थायों के विनिध्य बालायों में इंजीनियरी कियी पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष के ऐसे विवाधियों में एते की जाएगी को इंजीनियरी की विधी या प्रौद्योगिकी की विधी के प्रध्ययन के पहले तीनो वर्षों में लगानार प्रथम अंगी में उतीर्ज हुए हों और जिन्होंने ऐसा विश्वी पाठ्यक्रम बूग करने के पश्चात् एका धनुमंत्रान और विकास संगठन में वैकानिक "ख" के इस में सेवा करने के लिए विकल्प दिया है।

- (क) वयन साआत्कार या निवित परीक्षा भीर साक्षात्कार हारा धीयाता के घाधार गर किया जाएगा।
 - (1) प्रध्येतावृत्ति की धवधि एक वर्ष होगी। कनिष्ट प्रध्ये-तामां को प्रतिमास 800 र. भी समेक्ति विनका दी जाएगा ।
 - (2) वर्धानन सन्यायियों को इस सामय का एक बंधपन निष्पादित करने कि वे किसी पाठ्यकम पूरा करने के परवात बैजानिक "ता" के लप में नियुक्ति होने पर कम से कम नीन बये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में सेना करने और ऐसा न करने की दता में उन्हें विस्तिखित रकम सरकार को देन। Ħ शोगी ।
- (व) ऐसे कतिष्य बच्चेताओं के, जो प्रचम श्रेणी में विश्ली गरीका में उत्तीर्ण हुए हैं, मामनों पर रक्षा अनुसंधान आँर विकास सेवा नियम, 1979 के नियम 8 (। घ) (ख) के निवंधनों के घनु-सार रक्षा धनुषदान भीर विकास संगठन में बैजानिक 'ब' केंद्रथ में तिपुल्ति के लिए विचार किया जाएगा परन्तुतव जब उन्हें चगन बोर्व द्वारा ऐसी निमुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाए ।
- (॥) वैद्यानिक "ल" के रूप में नियुक्ति के पश्यान्तेंगे सभी क्रिकेट प्रध्येना जन प्रध्येनायों से कृतिष्ठ रहेते जिनका सेवा में बैकानिक "व" के बप में नियुक्ति के लिए जब ' उनके वयन की नारीना से पूर्व किया गया है। कनिन्त घट्येताओ की सालेप अपेटना का सवसारण पदन बीते द्वारा जान अंबी में जनतो दिए गए योगपतात्रम के घाषार पर किया चाएना।
- [सं. दीमारकीमां/76205/सारदी/एमपीठी-2/4539/दी (बार एक दी)]
- टिपाणी:-- रक्षा अनुभग्नान कोर विकास सेवा नियम बारत के राजपल माय-2 काण-4 में ना.का.नि. 8 विनांक 30 दिसम्बर 78 डारा प्रकानित किये गये वे और उनका संशोधन मा. का.ति. 387 दिनोक 10 भननूतर 80, गा.का.ति. 196 दिशांक 2 घणस्त 82, सा.का.ति. 159 दिनांक 5 मई 1983, सा.का.नि. 176 विनोक 7 बगन्त 1984, सा.का.ति. 228 दिनांक 13 नवम्बर 1984, मा.का.ति. 170 বিনাক 12 খুমাই 1983, লা.ভা.বি. 186 दिनांक 2 यगस्य 1985, सा.का.नि. 228 दिनांक 6 ब्र 1986, मा.का.नि. 158 विनोक 4 मई, 1987, सा.का.नि. 328 दिनांक 25 मितम्बर, 1987 और सा.का.नि. 11(६) दिनाक 10 मगस्त 1990 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 4th January, 1991

- S.R.O. 1.—In exercise of the powers conferred by the provise to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Defence Research and Development Service Rules, 1979,
- (1) These rules may be called the Defence Research and Development Service (Second Amendment) Rules, 1990.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Defence Research and Development Service Rules, In to as 1979 (hereinafter refe

- in sub-rule (IA), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely :--
 - "(b) not more than 250 vacancies per year in the grade of Scientist 'B' may be filled by appointment of candidates selected as "Junior Fellows" on their successful completion of M.Sc. (Computer Software) degree or Bachelor of Engineer/Bachelor of Technology degree as laid down in Schedule V and VI respectively."
- In the Schedule to the said rules, after Schedule V, the following Schedule shall be added, namely:—

"SCHEDULE VI [See rule 8(IA)(b)]

Jugior Fellowship Scheme to attract bright young Scientists. from the Institutes of Technology, the Indian Institute of Science, the Regional Engineering Colleges and other Premier Institutions in specified engineering subjects,

The terms and conditions of appointment of Junior fellows under the Scheme of Defeace Research and Development Organisation shall be as under :—

- (a) Campus remultiment of Junior Follows shall be curried out from some uget the students of the final year of the Engineering Degree Courses in specific disciplines from the Indian Institutes of Technology, the Indian Institute of Science, the Regional Engineering Colleges and other Premier Academic of Technical Institutions, who have communually secured first distained during the first three years of their studies for the Rachelor of Freemecting or Bachelor of Technothe Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology degree course and who opts to join Defence Re-search and Development Organisation as Scientist 'B' on completion of such degree course.
- (b) Selection shall be made on the basis of merit through an interview or written test and interview.
 - (i) The period of fellowship shall be one year. The Junior Fellows shall be paid a consolidated sti-pend of Rs. 800 per month and they shall not be entitled to any other allowance.
- (ii) The selected candidates shall execute a bond to serve the Defence Research and Development Organisation on completion of degree course for a minimum period of 3 years on appointment as Scientist B', failing which they shall be required to pay the Government the amount mentioned in the bond.
- (c) The Junior Fellows who are awarded the Degree in first division shall be considered for appointment as Scientist 'B' in the Defence Research and Development Organisation in terms of rule 8(1AMb) of the Defence Research and Development Service Rules, 1979, provided they are found suitable for such appointment by the Selection Board.
- (d) The Junier Fellows on their appointment as Scientist
 'B' shall be en-blee junier to those selected for
 appointment as Scientist 'B' earlier than the date
 of their selection for appointment in the Service.

 The inter-se-seniotity of the Junier Fellows shall be
 determined on the basis of merit assigned in the
 selection list by the Selection Board.

[No. DRDO/76205/RD·MPD-2/4539/D(R&D)]

NOTE.—The Defence Research and Development Service Rules published in the Gazette of India Part II, Section 4, vide S.R.O. 8 dated the 30th December, 1978, have been amended vide S.R.O. 307, dated the 10th October. 1980, S.R.O. 196 dated the 2nd August, 1982, S.R.O. 159 dated the 5th May. 1983, S.R.O. 176 dated the 7th August. 1984, S.R.O. 228 dated the 13th November, 1984, S.R.O. 170 dated the 12th July. 1935, S.R.O. 186 dated the 2nd August, 1985, S.R.O. 228 dated the 6th June. 1986, S.R.O. 158 dated the 4th May. 1987 and S.R.O. 328 dated the 25th September, 1987 and S.R.O. 328 dated the